

कार्यालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरु (राजस्थान)

क्रमांक: - ०५

दिनांक: - 04.02.2026

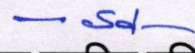
- कार्यालय-आदेश-

मैं हरीश कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 15(1), 16(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय के पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 55 दिनांक 23.11.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए चूरु न्यायक्षेत्र के क्षेत्राधिकार में परिवहन विभाग, चूरु द्वारा की जाने वाली समस्त कार्यवाहियों में उद्धृत होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (चालान) की सुनवाई हेतु, जिस स्थानीय थाने के क्षेत्राधिकार में उपरोक्त कार्यवाही की जाती है उस थाने के क्षेत्राधिकार से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग के समक्ष प्रस्तुत करने एवं विधिनुसार कार्यवाही करने हेतु अधिकृत करता हूं।

* चूरु मुख्यालय एवं रतनगढ़ मुख्यालय पर यह आदेश लागू नहीं होगा, पूर्ववर्ती आदेश की पालना सुनिश्चित की जावे।

उक्त आदेश आज दिनांक 04.02.2026 से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।

नोट:- जहां पर क्षेत्राधिकार के संबंध में अतिलंघता की स्थिति है, वहां वरिष्ठतम श्रेणी के न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार होगा और जहां दो न्यायालयों के बीच में क्षेत्राधिकार बाबत संदिग्धता है, वहां भी सुनवाई का क्षेत्राधिकार वरिष्ठतम न्यायालय को होगा। इसके उपरान्त भी क्षेत्राधिकार के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर, प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरु को होगा।

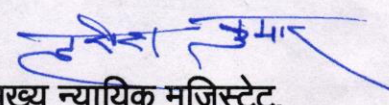

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरु(राज.)

क्रमांक:- 53

दिनांक:- 04.02.2026

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, चूरु को सादर प्रेषित है।
2. जिला कलेक्टर, चूरु
3. जिला पुलिस अधीक्षक, चूरु
4. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुजानगढ़/सरदारशहर/रतनगढ़/राजगढ़
5. न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरु / अति.न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरु / तारानगर / सरदारशहर / राजगढ़ / सुजानगढ़ / बीदासर
6. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सीकर
7. जिला परिवहन अधिकारी, चूरु/सुजानगढ़
8. कोर्ट मैनेजर, जिला न्यायालय, चूरु को न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
9. रक्षित पत्रावली
10. कार्यालय प्रति।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरु(राज.)